

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का कार्यालय, धालभूम जमशेदपुर।

दिनांक	आदेश	की गई कार्रवाई
24/4/20	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी मानगो के द्वारा लगान निर्धारण अभिलेख संख्या-15/19-20 प्राप्त हुआ है, जो मूल रूप से अभिलेख के साथ संलग्न है। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अंचल अधिकारी मानगो के द्वारा लगान निर्धारण अभिलेख संख्या -15/19-20 उल्लेख किया गया है कि मौजा-अधिसूचित क्षेत्र मानगो, वार्ड नं0-10 खाता नं0- 518, प्लॉट नं0- 3390, रकवा-0.01.60 हे0 या 3.95 डी0 भूमि हाल सर्वे खतियान 1979 में सुरेन गौड़ पिता श्याम गौड़ के नाम पर दर्ज है तथा खतियान के कॉलम 8 में काबिल लगान दर्ज है। वर्तमान में आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है। अंचल अमीन के द्वारा तैयार ट्रेश नक्शा एवं रेन्ट रोल तीन प्रति में संलग्न है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक ने मौजा-अधिसूचित क्षेत्र मानगो, वार्ड नं0-10 खाता नं0-518, प्लॉट नं0- 3390, रकवा-0.01.60 हे0 या 3.95 डी0 भूमि का वार्षिक लगान वर्ष 1981 से 3/- रू0 प्रति कट्टा एवं वर्ष 1998 से 10 रूपया प्रति डिसमील अलावे सेस की दर से वसूली हेतु खतियानी रैयत सुरेन गौड़ पिता श्याम गौड़ के नाम पर लगान निर्धारण हेतु अनुशंसा किया गया है।</p> <p>अतः अभिलेख में वर्णित तथ्यों, संलग्न कागजात, रेन्ट रोल, ट्रेश नक्शा एवं अंचल अधिकारी मानगो के द्वारा स्वयं जांचोपरांत लगान निर्धारण हेतु की गई अनुशंसा के आलोक में मौजा-अधिसूचित क्षेत्र मानगो, वार्ड नं0-10 खाता नं0-518, प्लॉट नं0- 3390, रकवा-0.01.60 हे0 या 3.95 डी0 भूमि का वार्षिक लगान वर्ष 1981 से 3/- रू0 प्रति कट्टा एवं वर्ष 1998 से 10 रूपया प्रति डिसमील अलावे सेस की दर से खतियानी रैयत सुरेन गौड़ पिता श्याम गौड़ के नाम से लगान निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल रूप में अंचल अधिकारी, मानगो को भेजें।</p>	

24/4/20
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धालभूम, जमशेदपुर।

24/4/20
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धालभूम, जमशेदपुर।

आपाक 393 दिनांक 25/4/20
प्रति लिपि संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को सूचनाार्थ एवं
आपराक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अ. अंचल अधिकारी